



क.रा.बी.नि
E.S.I.C

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம்
(தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்புத்துறை
அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



सत्यमेव जयते

மண்டல அலுவலகம்(தமிழ்நாடு), பஞ்சதீப பவன்
43, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நங்கம்பாக்கம் சென்னை -34.
क्षेत्रीय कार्यालय (तामिलनाडु), पंचदीप भवन,
सं.143, स्टर्लिंग रोड, नंगम्बक्कम, चेन्नै - 600 034.
REGIONAL OFFICE (TAMILNADU), Panchdeep Bhavan,
143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai-600 034.
Phone: 28306300 (100 Lines): Fax: 28238559
E-mail: rd-tamilnadu@esic.nic.in

स्वीकृति जापन/Sanction Memorandum

मुख्यालय के पत्र संख्या ए-49/16/04/2012-रा.भा., दिनांक 06.06.2024 के अनुसरण में अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए निम्नलिखित टंककों को ₹160/- प्रतिमाह की दर से निम्नानुसार हिंदी टंकण प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में समसंख्यक फाइल की नोट सं.33 पर दिनांक 29/04/2025 को मंजूरी प्रदान की है-

In pursuance of the Hqrs. letter No. A-49/16/04/2012-O.L., dated 06.06.2024, the Additional Commissioner-cum-Regional Director has sanctioned the grant of Hindi typing incentive allowance at the rate of ₹160/- per month to the following typists for doing official work in Hindi in addition to English on note no.33, dated 29/04/2025 of even number file as follows-

क्र.सं. S.N.	कर्मचारी सं. Emp.No.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री) Name of the officials(Mr./Mrs.)	पदनाम Designation	अवधि Period	प्रोत्साहन राशि की दर Rate of Incentive amount	हिंदी टंकण प्रोत्साहन भत्ता की राशि Amount of Hindi typing incentive allowance
1	173531	मुकेश कुमार Mukesh Kumar	अवर श्रेणी लिपिक Lower Divisional Clerk	माह सितंबर, 2024 से फरवरी, 2025 तक (कुल 6 माह)	₹160/- प्रतिमाह	₹160/-x6 =₹960/-
2	158203	आशीष कुमार Ashish Kumar	प्रवर श्रेणी लिपिक Upper Divisional Clerk	माह अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2025 तक (कुल 06 माह)		₹160/-x6 =₹960/-

अतः रोकड़ शाखा/वित्त एवं लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै से अनुरोध है कि उक्त कार्मिकों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई राशि का भुगतान उनके खातों में करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

Therefore, cash branch/finance and Accounts Branch Regional Office, Chennai is requested to necessary action to pay the mentioned amount against the name of said employees in their accounts.

Digitally signed by

RAJESH SHARMA

Date: 30-04-2025

उप निदेशक (राजभाषा)

Deputy Director (Official Language)

प्रति :

- निजी सचिव, अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै।
Personal Secretary, AC-cum-RD, Regional Office, ESIC, Chennai.
- रोकड़/वित्त एवं लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै को उपर्युक्त कार्मिकों को भुगतान करने हेतु।
Cash/F&A Branch, Regional Office, ESIC, Chennai for payment to above officials.
- संबंधित कार्मिक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै
Concerned Officials, ESI Corporation Regional Office, Chennai
- वेबसाइट प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
Website Manager, Regional Office, ESIC, Chennai to upload it on website.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट: www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या : ए-49/16/04/2012-रा.भा.

दिनांक : 06.6.2024

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय : अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों/ टंककों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता।

महोदय/महोदया,

हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों/ टंककों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अधीन हिंदी में औसतन 5 टिप्पणियाँ/ प्रारूप/ प्रपत्र/ पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियाँ/ प्रारूप/ प्रपत्र/ पत्र प्रति तिमाही टंकित करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/ टंककों को क्रमशः 240/- रु. तथा 160/- रु. भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा और इस राशि पर महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

वह योजना, जिसके अंतर्गत हिंदी आशुलिपिक/ टंकण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन के रूप में अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ दी जाती हैं, जारी रहेंगी। परंतु जब इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने लगेगा, तब से अग्रिम वेतन-वृद्धियों का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

जो अंग्रेजी आशुलिपिक/ टंकक इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, वे दोनों भाषाओं में कार्य शुरू करने से प्रारम्भिक 6 महीनों के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रतिमाह, उसके पश्चात प्रत्येक 3 माह में एक बार अपने कार्यालय की राजभाषा शाखा में भेजें।

अनुरोध किया जाता है कि इसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य परिचालित कर इसका व्यापक प्रचार करें।

संलग्नक : अपेक्षित प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

भवदीय,

Signed by Shyam Kumar

Date: 06-06-2024 10:26:35

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. सभी शाखाएं, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

✓ 2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

06.6.2024.

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

हिंदी प्रोत्साहन भत्ता पाने के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र

‘यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

.....

पदनाम शाखा.....

.....नेसेतक की अवधि में

अपने काम का कुछ भाग

हिंदी आशुलिपि/ टंकण में किया। हिंदी में किए गए काम की मात्रा, उपर्युक्त मास में औसतन टिप्पणियों

/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन या उपर्युक्त तिमाही में लगभग 300 टिप्पणियों/प्रारूप/पत्र से कम नहीं थी।

संबंधित नियंत्रण अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर